



कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग),
झारखण्ड सरकार

कार्यालय— कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, दुमका।

नियुक्ति विज्ञापन संख्या — 01/2026-27

मानदेय/पारिश्रमिक के आधार पर मानव बल फसल रक्षक की नियुक्ति

फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पौधा संरक्षण केन्द्र, दुमका, सरैयाहाट, रामगढ़, जामा, जरमुण्डी, मसलिया, शिकारीपाड़ा, काठीकुण्ड, गोपीकान्दर, रानेश्वर एवं नोनीहाट में प्रति केन्द्र एक-एक पद पर कुल— 11 (ग्यारह) पद के लिए मानदेय/पारिश्रमिक के आधार पर मानव बल फसल रक्षक की अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र०सं०	पदनाम	पद की प्रकृति	नियुक्ति अवधि	मासिक मानदेय
1.	फसल रक्षक	मानदेय/पारिश्रमिक आधारित	11 महिना (अथवा नियमित नियुक्ति होने तक)	11851/-

यह नियुक्ति पूर्णतः मानदेय/पारिश्रमिक आधारित है। इसमें भविष्य में नियमित नियुक्ति, स्थायीकरण का दावा मान्य नहीं होगा एवं नियमित सरकारी कर्मों के समान सेवा लाभ का कोई स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

रिक्तियों का विवरण:—

क्र०सं०	कोटिवार रिक्ति			कुल रिक्ति
1	अनारक्षित (UR)	अनुसूचित जनजाति (ST)	अ० क० वर्ग (EWS)	11
	05	05	01	

नोट:— पदों का कोटिवार विवरण दुमका जिला हेतु आदर्श आरक्षण रोस्टर के आधार पर है।

अनिवार्य योग्यता:—

- मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण।
- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखण्ड सरकार अन्तर्गत कृषि अथवा उद्यान निदेशालय अंतर्गत न्यूनतम एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य होगा।
- साईकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने की दक्षता।
- दुमका जिला अन्तर्गत स्थानीय प्रखण्ड के अभ्यर्थी को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।

उम्र सीमा:—

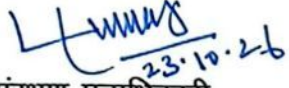
न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वह होगी, जो विभिन्न श्रेणियों हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित हो।

नोट:— विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रपत्र दुमका जिले के dumka.nic.in के आधिकारिक वेबसाइट एवं कार्यालय कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, दुमका के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है। साथ ही अधिक जानकारी के लिए 9304866088 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

आवेदन करने की तिथि:— 26.10.2026 से 14.11.2026 तक

(रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से ही आवेदन ही स्वीकार किया जायेगा)

आवेदन करने का पता :— कार्यालय, कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, दुमका (भागलपुर रोड— दुमका, नियर टाटा शोरूम, दुमका, पिन कोड— 814101)


23.10.26
कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी,
दुमका।



कार्यालय, कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, दुमका।
(भागलपुर रोड, दुमका झारखण्ड, 814101)
(Email id- jppo.dumka2020@gmail.com/9304866088)

—:नियुक्ति संबंधी सूचना:—

1. प्रस्तावना:-

राज्य में फसल सुरक्षा एवं पौधा संरक्षण संबंधी कार्यों को स्थानीय स्तर पर प्रभावी रूप से संचालित करने के उद्देश्य से फसल रक्षक के पद पर मानदेय के आधार पर चयन करते हुए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाना है।

इस विज्ञापन के माध्यम से दुमका जिला के सभी प्रखण्डों में स्थित पौधा संरक्षण केन्द्रों में कार्य करने हेतु कुल 11 फसल रक्षक का चयन मानदेय के आधार पर किया जाएगा। जिसका विवरणी निम्नवत् है:-

1. पौधा संरक्षण केन्द्र, दुमका के लिए दुमका प्रखण्ड के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
2. पौधा संरक्षण केन्द्र, सरैयाहाट के लिए सरैयाहाट प्रखण्ड के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
3. पौधा संरक्षण केन्द्र, रामगढ के लिए रामगढ प्रखण्ड के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
4. पौधा संरक्षण केन्द्र, जामा के लिए जामा प्रखण्ड के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
5. पौधा संरक्षण केन्द्र, नोनीहाट के लिए जरमुण्डी प्रखण्ड के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
6. पौधा संरक्षण केन्द्र, जरमुण्डी के लिए जरमुण्डी प्रखण्ड के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
7. पौधा संरक्षण केन्द्र, मसलिया के लिए मसलिया प्रखण्ड के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
8. पौधा संरक्षण केन्द्र, शिकारीपाड़ा के लिए शिकारीपाड़ा प्रखण्ड के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
9. पौधा संरक्षण केन्द्र, काठीकुण्ड के लिए काठीकुण्ड प्रखण्ड के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
10. पौधा संरक्षण केन्द्र, गोपीकान्दर के लिए गोपीकान्दर प्रखण्ड के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
11. पौधा संरक्षण केन्द्र, रानेश्वर के लिए रानेश्वर प्रखण्ड के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।

चयन प्रक्रिया संबंधित विभागीय आदेशों, जिला- स्तरीय आरक्षण रोस्टर तथा इस विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के आधीन संपन्न होगी।

अभ्यर्थी इस विज्ञापन की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं।

✓

2. सामान्य विवरण:-

क्र०सं०	पदनाम	पद की प्रकृति	नियुक्ति अवधि	मासिक मानदेय
1.	फसल रक्षक	मानदेय/पारिश्रमिक आधारित	11 महिना (अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो पहले हो)	11851/-

नोट:- यह नियुक्ति पूर्णतः मानदेय/पारिश्रमिक आधारित है। इसमें भविष्य में नियमित नियुक्ति, स्थायीकरण का दावा मान्य नहीं होगा एवं नियमित सरकारी कर्मों के समान सेवा लाभ का कोई स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. रिक्तियों का विवरण:-

क्र०सं०	कोटिवार रिक्ति			कुल रिक्ति
1	अनारक्षित (UR)	अनुसूचित जनजाति (ST)	अ० क० वर्ग (EWS)	11
	05	05	01	

नोट:- पदों का कोटिवार विवरण दुमका जिला हेतु आदर्श आरक्षण रॉस्टर के आधार पर है।

4. अनिवार्य योग्यता:-

- मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/माध्यमिक (10th) उत्तीर्ण।
 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत कृषि अथवा उद्यान निदेशालय अंतर्गत न्यूनतम एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य।
 - स्थानीय भाषा की जानकारी।
 - साइकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने की दक्षता।
- v. दुमका जिला अंतर्गत जिस प्रखण्ड के केन्द्र हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाना है, आवेदक का उसी प्रखण्ड के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
5. **फसल रक्षक का कार्य:-** कीटनाशकों का छिड़काव, कृषकों के मध्य जागरूकता/ प्रशिक्षण एवं कार्यालय द्वारा समय-समय पर आवंटित अन्य कार्य।

6. आयु सीमा:- (30 सितम्बर 2026)

मैट्रिक अंक पत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही आयु निर्धारण हेतु स्वीकार्य होगा। आयु की गणना निर्धारित तिथि के आधार पर की जाएगी।

न्यूनतम आयु :- 18 वर्ष

अधिकतम आयु सीमा:-

i	अनारक्षित (UR)	35 वर्ष
ii	आर्थिक रूप से अ० क० वर्ग (EWS)	35 वर्ष
iii	अनुसूचित जनजाति (ST)	40 वर्ष

7. चयन प्रक्रिया एवं अंक-विभाजन

प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की निर्धारित पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर संवीक्षा की जाएगी।

ऐसे आवेदन, जिनमें आवश्यक विवरण उपलब्ध नहीं है, आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है, अनिवार्य अर्हता पूरी नहीं होती है, अथवा जिनमें गलत/भ्रामक जानकारी दी गई है, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। केवल वैध एवं पात्र आवेदन वाले अभ्यर्थियों का चयन हेतु अग्रेतर मूल्यांकन किया जाएगा, जो की कुल 100 अंको के आधार पर किया जाएगा।

विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	चयन घटक	मेधा सूची हेतु योग्यता विवरण	अधिकतम अंक
1.	शैक्षणिक योग्यता	मैट्रिक अंक पत्र में दर्ज प्रतिशत। इंटरमीडिएट एवं स्नातक हेतु अतिरिक्त अंक।	10^{th} का % $\times 0.4$ =-----अधिकतम 40 12^{th} का % $\times 0.1$ =-----अधिकतम 10 स्नातक का % $\times 0.1$ =-----अधिकतम 10) (अधिकतम = 60)
2	स्थानीय	संबंधित प्रखण्ड के स्थानीय निवासी द्वारा आवेदन करने पर	(अधिकतम = 10)
3	प्रशिक्षण	न्यूनतम एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण पश्चात अतिरिक्त प्रशिक्षण पर तदनुसार।	पाँच दिवसीय प्रशिक्षण = 20 दो दिवसीय प्रशिक्षण = 10 (अधिकतम = 30)
कुल अंक			100

चयन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु:-

- CGPA/ग्रेड होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Conversion formula के अनुसार प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।
- स्नातकोत्तर अथवा उससे उच्चतर योग्यता के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जायेंगे।
- एक ही स्तर की एक से अधिक डिग्री/योग्यता के लिए अतिरिक्त अंक नहीं दिए जायेंगे।
- प्रशिक्षण अवधि की गणना प्रमाण-पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित पूर्ण प्रशिक्षण दिवस के आधार पर की जायेगी।
- केवल कृषि विभाग अंतर्गत कार्यरत कृषि एवं उद्यान निदेशालय, बिरसा कृषि विश्व विद्यालय कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं आत्मा कार्यालय द्वारा निर्गत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
- फसल रक्षक के कार्य की प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थी का साईकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने में सक्षम होना आवश्यक होगा। यदि चयन समिति को आवश्यक/उचित कारणों

44-

से इन क्षमताओं की जाँच करना आवश्यक प्रतीत हो, तो प्रारूपिक मेधा सूची तैयार होने के पश्चात् इनके संबंध में व्यावहारिक परीक्षण लिया जा सकता है।

- VII. अंतिम चयन से पूर्व चयनित/औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मूल-प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।
- VIII. चरित्र प्रमाण-पत्र अंतिम रूप से चयनित/औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा योगदान के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- IX. अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित (Self-attested) छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा—

1. मैट्रिक/10वीं का प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र अनिवार्य।
2. इंटरमीडिएट/10+2 का प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र यदि उपलब्ध हो।
3. स्नातक का प्रमाण-पत्र अंक-पत्र, यदि उपलब्ध हो।
4. न्यूनतम 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र
5. स्थानीय भाषा संबंधी प्रमाण-पत्र, यदि उपलब्ध हो।
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध स्थानीय प्रमाण-पत्र।
7. जाति प्रमाण-पत्र, जहाँ लागू हो।
8. दुमका जिला अन्तर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र।
9. EWS प्रमाण-पत्र, जहाँ लागू हो।
10. जन्मतिथि के प्रमाण हेतु मैट्रिक प्रमाण-पत्र।
11. पहचान-पत्र
12. आधार कार्ड की प्रति (साफ प्रदर्शित हो)।

आवेदन-पत्र के साथ उपरोक्त में वर्णित आवश्यक प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन अपूर्ण माना जायेगा। मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन बाद में निर्धारित तिथि पर किया जाएगा।

8. चयन एवं योगदान

- कोटिवार मेधा सूची लागू आरक्षण नियमों के अनुसार तैयार की जाएगी एवं अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची दुमका जिले के dumka.nic.in के आधिकारिक वेबसाइट एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशित की जायेगी। योगदान केवल कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, दुमका द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन ही स्वीकार किया जाएगा तथा निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर चयन स्वतः समाप्त हो जायेगी है एवं रिक्ति को प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।
- पौधा संरक्षण केन्द्र के आवंटन हेतु अभ्यर्थी के स्थानीय सम्बंधित प्रमाण-पत्र में अंकित निवास प्रखण्ड को प्राथमिकता एवं अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में भरी गयी प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटन किया जाएगा, परन्तु इस हेतु अंतिम निर्णय कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, दुमका द्वारा प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत किया जा सकेगा एवं भविष्य में आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।

9. स्थानीय निवासी एवं आरक्षण:—

सभी अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध स्थानीय निवासी-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सम्बंधित जाति/कोटि का सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4-

10. सामान्य शर्तें एवं महत्वपूर्ण निर्देश:-

- "आवेदन-पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा अंतिम चयन से पूर्व मूल प्रमाण-पत्र का सत्यापन किया जाएगा।"
- चयन प्रक्रिया सक्षम प्राधिकार द्वारा गठित चयन समिति की देख-रेख में संपन्न होगी।
- किसी भी चरण पर अभ्यर्थी की पात्रता एवं प्रमाण-पत्रों की पुनः जाँच की जा सकती है।
- गलत सूचना, तथ्य छिपाने अथवा फर्जी प्रमाण-पत्र पाए जाने पर चयन के बाद भी संविदा समाप्त की जा सकती है एवं अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
- निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- चयन सूची में नाम आ जाना नियुक्ति का स्वतः एवं अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं देगा।
- नियमित नियुक्ति होने, स्वीकृत पद समाप्त होने अथवा प्रशासनिक आवश्यकता होने पर संविदा समाप्त की जा सकती है।
- कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, दुमका को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का कार्यस्थल में आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- सक्षम प्राधिकार को अपरिहार्य/प्रशासनिक कारणों से विज्ञापन अथवा चयन प्रक्रिया को स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- फसल रक्षक पद पर नियुक्ति पूर्णतः मानदेय/पारिश्रमिक आधारित है। इसमें भविष्य में नियमित नियुक्ति, स्थायीकरण का दावा मान्य नहीं होगा एवं नियमित सरकारी कर्मों के समान सेवा लाभ का कोई स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक द्वारा समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
- चयन/परीक्षा/परिणाम/दस्तावेज सत्यापन संबंधी सूचना अधिकृत माध्यम से प्रकाशित की जाएगी।
- चयन के संबंध में किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए आश्वासन/दावे के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

आवेदन करने का पता:-

कार्यालय, कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, दुमका।
(भागलपुर रोड- दुमका, नियर टाटा शोरूम, पिन कोड- 814101)


23.10.24
सदस्य सचिव, चयन समिति-सह-
कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी,
 दुमका।

आवेदन- पत्र
झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
दुमका जिला अंतर्गत फसल रक्षक के पद पर मानदेय के आधार पर अस्थायी चयन हेतु आवेदन पत्र
विज्ञापन संख्या :...../2026

निर्देश : अभ्यर्थी आवेदन-पत्र के सभी कॉलम स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से भरे तथा विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रामाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करें।

➤ अभ्यर्थी का विवरण

1 अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में)

.....

2 अभ्यर्थी का नाम (English में)

.....

3 पिता/ पति का नाम :

.....

4 माता का नाम :

.....

5 लिंग

.....

6 जन्म तिथि :

...../...../.....

7 आयु ((30 सितम्बर 2026 तक) :-

.....वर्ष.....माह.....दिन

पासपोर्ट आकार का
हाल का
स्व-अभिप्रामाणित
फोटो चिपकाएँ

➤ आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी विवरण :-

7 श्रेणी (UR / ST/ EWS) :

.....

8 क्या आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं (हाँ/नहीं)

.....

9 स्थानीय प्रमाण-पत्र के अनुसार जिला :-

.....

10 स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के अनुसार प्रखण्ड :

.....

➤ शैक्षणिक योग्यता :-

परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय	प्राप्त अंक	कुल अंक	प्रतिशत
मैट्रिक					
इंटरमीडिएट / 10+2					
स्नातक					

➤ प्रशिक्षण का विवरण :-

क्या कृषि एवं उद्यान निदेशालय/विज्ञापन में निर्धारित संस्थान से न्यूनतम 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त है? (हाँ/नहीं)

.....

क्र०सं०	प्रशिक्षण का विवरण	अवधि (पूर्ण दिवस)	प्रशिक्षण संस्था	प्रमाण-पत्र संख्या / दिनांक
1.	अनिवार्य प्रशिक्षण (पांच दिवसीय)			
2.	अतिरिक्त प्रशिक्षण, यदि कोई हो			

➤ अन्य आवश्यक जानकारी

क्या आप साईकिल चलाने में सक्षम हैं? (हाँ/नहीं)

क्या आप पेड़ चढ़ने में सक्षम हैं? (हाँ/नहीं)

आधार नंबर :

मोबाईल नंबर :

ई-मेल :

पत्राचार का पता :-

स्थायी का पता :-

➤ संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची (छायाप्रति), जो उपलब्ध हो :-

1. मैट्रिक/10वीं प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र (मूल प्रमाण पत्र)
2. इंटरमीडिएट/10+2 प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र, यदि उपलब्ध हो
3. स्नातक प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र, यदि उपलब्ध हो
4. न्यूनतम 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो
5. अतिरिक्त भाषा संबंधी प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो
6. स्थानीय भाषा संबंधी प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो
7. वैध स्थानीय प्रमाण-पत्र
8. जाति प्रमाण-पत्र, जहाँ लागू हो
9. EWS प्रमाण-पत्र, जहाँ लागू हो
10. स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र
11. पहचान-पत्र की प्रति (आधार कार्ड/वोटर आई डी)

चरित्र/आचरण प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक नहीं है, परन्तु अंतिम चयन/दस्तावेज सत्यापन/योगदान के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

➤ घोषणा

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा दी सभी जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र/दस्तावेज वास्तविक एवं वैध हैं। यदि आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत, भ्रामक अथवा तथ्य छिपाने वाली पाई जाती है अथवा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र फर्जी/अमान्य पाया जाता है, तो मेरी अभ्यर्थिता/चयन/संविदा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार समाप्त की जा सकती हैं। मैं फसल रक्षक पद हेतु विज्ञापन में निर्धारित सभी शर्तों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया प्रावधानों एवं शर्तों को स्वीकार करता/करती हूँ।

स्थान:.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:

दिनांक:.....

अभ्यर्थी का नाम :.....

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

आवेदन प्राप्ति क्रमांक:

आवेदन प्राप्ति दिनांक:

पात्र/अपात्र:

संवीक्षक के हस्ताक्षर: